

कठुवर्जलय निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़ :

आदेश क्रमांक: 23/164-99 वि०-182 दिनांक, चण्डीगढ़ : 30.8.99

सर्जय कुलदीप वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, खरखौदा सौनीपत को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से 10 + 2 स्तर का सम्बन्धता लेने हेतु अनापति प्रमाण पत्र निम्न शर्तों पर जारी किया जाता है:-

1. विद्यालय को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से सम्बन्धता प्राप्त होने पर विद्यालय की हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी से सम्बन्धता रद्द समझी जायेगी ।
2. हरियाणा विद्यालय शिक्षा एक्ट 1999 की धारा 4 की सभी शर्तों को पूरा करेगा तथा इसके तहत जो भी नियम बनेंगे विद्यालय उनकी पालना करेगा अन्यथा अनापति प्रमाण पत्र वापिस लिया जा सकता है ।
3. विद्यालय समय-2 पर जारी की जाने वाली विभाग की हिदायतों की पालना करेगा ।

प्रधानाचार्य महापात्र

निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़

पृष्ठान्त क्रमांक सम दिनांक: 30.8.99

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी सौनीपत को उनके पत्र क्रमांक सा-1-99/1587 दिनांक 28.7.99 के सन्दर्भ में ।

2. प्रधानाचार्य सर्जय कुलदीप वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खरखौदा सौनीपत

3. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शिक्षा केन्द्र कम्युनिटी सेंटर प्रीत विहार, नई दिल्ली-110092

4. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी ।

अधीक्षक विद्यालय-1 31/8/99

कृते निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा

RE